मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर..ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 215/2024

मोनिका पुत्री रामकुमार पत्नी अजय कुमार जाति जाट निवासी ठाकरूवाला हाल आबाद भागसर तहसील अबोहर (पंजाब) राजस्थान।

—— वादिया

—:बनाम:—

1. रामकुमार पुत्र श्री ठाकरूराम जाति जाट निवासी ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. गीता देवी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

वादिया की ओर से श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि की निम्नानुसार घोषणा की जाती है:–

(क) वादी सं. 1 (मोनिका) को तहसील पीलीबंगा के चक 1 एन.एम. के खाता संख्या 47 के प.नं. 30/358 (22) के किला नं. 1/1 ता 25/2, प.नं. 30/359 (25) किला नं. 1 ता 12, 20 कुल रकबा 9.614 हैक्ट. कमाण्ड मय गै.मु.खाला मे से 29/76 हिस्सा यानि 3.6685 हैक्ट. में से 1.8345 हैक्ट. कमाण्ड मय गै.मु.खाला कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

(ख) प्रतिवादी सं. 2 (गीता देवी) को तहसील पीलीबंगा के चक 1 एन.एम. के खाता संख्या 47 के प.नं. 30/358(22) के किला नं. 1/1 ता 25/2, प.नं. 30/359 (25) किला नं. 1 ता 12, 20 कुल रकबा 9.614 हैक्ट. कमाण्ड मय गै.मु.खाला मे से 29/76 हिस्सा यानि 3.6685 हैक्ट. मे से 1.834 हैक्ट. कमाण्ड मय गै.मु.खाला कृषि भूमि प्राप्त हुई है एवं चक 9 बीआरपी की कृषि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.28 10:29:01 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदे[illegible] जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पा[illegible] किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, [illegible] नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की [illegible] में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर [illegible]ग अलग लगान कायम [illegible]ावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 26/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.28 10:29:01 IST
Reason: SelfAttested